

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

6 नवम्बर, 2024

विषय:-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) योजना के तहत समितियों का गठन।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना से संबंधित 17 मंत्रालयों द्वारा देख-रेख किये जाने वाले 25 प्रमुख कार्यक्रमों (Interventions) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अंतर की पूर्ति किये जाने एवं योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर समितियों के गठन किये जाने का मार्गदर्शन है। तदालोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग नामित करते हुए निम्न प्रकार से समितियों का गठन किया जाता है :-

1. राज्य स्तरीय Apex समिति - राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाता है :-

(i)	मुख्य सचिव, बिहार	-	अध्यक्ष
(ii)	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य
(iii)	अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग	-	सदस्य
(iv)	अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	-	सदस्य
(v)	अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	सदस्य
(vi)	प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	-	सदस्य
(vii)	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	-	सदस्य
(viii)	सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	सदस्य
(ix)	सचिव, कृषि विभाग	-	सदस्य
(x)	सचिव, ऊर्जा विभाग	-	सदस्य
(xi)	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	-	सदस्य
(xii)	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(xiii)	सचिव, पर्यटन विभाग	-	सदस्य
(xiv)	सचिव, पंचायती राज विभाग	-	सदस्य
(xv)	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	-	सदस्य
(xvi)	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	सदस्य
(xvii)	सचिव, श्रम संसाधन विभाग	-	सदस्य
(xviii)	सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	-	संयोजक

राज्य स्तरीय Apex समिति मासिक/त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करेगी, जिसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) योजना के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन/संबंधित चुनौतियों का समाधान एवं अभिसरण हेतु सहयोग प्रदान करेंगी।

2. जिला स्तरीय समिति – जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाता है :-

(i)	जिला समाहर्ता	—	अध्यक्ष
(ii)	जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी	—	सदस्य सचिव
(iii)	जिला चिकित्सा पदाधिकारी	—	सदस्य
(iv)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	—	सदस्य
(v)	कार्यपालक अभियंता, आर0डब्लू0डी0	—	सदस्य
(vi)	जिला परियोजना पदाधिकारी	—	सदस्य
(vii)	जिला पशुपालन पदाधिकारी	—	सदस्य
(viii)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	—	सदस्य
(ix)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	—	सदस्य
(x)	जिला कृषि पदाधिकारी	—	सदस्य
(xi)	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल	—	सदस्य
(xii)	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	—	सदस्य
(xiii)	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारी	—	सदस्य
(xiv)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	—	सदस्य
(xv)	श्रम अधीक्षक	—	सदस्य

जिला स्तर की समिति योजना के पात्र लाभार्थी का पंजीकरण एवं आवेदन प्राप्त करेगी/डीपीआर की तैयारी/परियोजना की मंजूरी/प्रत्येक योजना के लिए संबंधित मंत्रालय/विभागों के दिशा-निदेशों के अनुसार राशि का उपयोग तथा निर्माण कार्य हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी/सड़क, आँगनवाड़ी केन्द्र, छात्रावास के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करायेगी/धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना (DA-JGUA) पोर्टल पर आँकड़े अद्यतन कराने के साथ पुरस्कार पोर्टल (Award Portal) पर प्रगति को भी अद्यतन करायेगी/क्षेत्र का भ्रमण कर योजना के कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संबंधित गतिविधियों से संबंधित मुद्दों का समन्वय करेंगी/प्रत्येक घर एवं टोलों को निर्धारित 25 क्रियाकलाप/गतिविधियों से आच्छादित करने हेतु आवश्यक पहल करेगी।

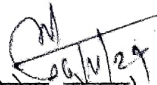
3. प्रखण्ड स्तरीय कार्यान्वयन टीम – प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड स्तरीय कार्यान्वयन टीम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक (NRLM), ग्रामीण विकास विभाग, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी होंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड स्तरीय कार्यान्वयन टीम के नोडल पदाधिकारी होंगे। जिला समाहर्ता द्वारा उक्त पदाधिकारियों

को 4-5 गाँव/टोलों का कार्य सौंपा जाएगा तथा उनके साथ संबंधित विभागों के 2-3 अन्य पदाधिकारियों को संबद्ध किया जाएगा।

प्रखण्ड स्तर के टीम आवंटित गाँव/टोलों में आवासित अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करायेगी/योजनाओं के लाभ से वंचित अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभ दिलाने/अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाभुकों को पट्टा दिलाने एवं अन्य लाभ यथा-आवास, बिजली, संचार, होम स्टे, आधार, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा कार्ड, किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करने का कार्य करेगी/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ इन समुदायों के प्रधान के साथ सामुदायिक स्तर की बैठकें आयोजित करेंगी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेंगी।

4. प्रस्ताव में मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(दिवेश सेहरा)

सरकार के सचिव

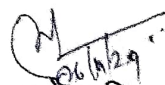
ज्ञापांक:-6/निदे0 (प्र0मं0ज0उ0ग्रा0यो0)-34-02/2024- 6771 पटना, दिनांक:-06-11-2024

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

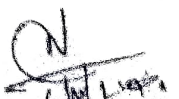
ज्ञापांक:-6/निदे0 (प्र0मं0ज0उ0ग्रा0यो0)-34-02/2024- 6771 पटना, दिनांक:-06-11-2024

प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-6/निदे0 (प्र0मं0ज0उ0ग्रा0यो0)-34-02/2024- 6771 पटना, दिनांक:-06-11-2024

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/सभी अपर समाहर्ता/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी मुख्य कार्य पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारी/सभी जिला चिकित्सा पदाधिकारी/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड प्रोग्राम प्रबंधक (NRLM) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव